तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
03/01/2023	प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये रजिस्टर्ड नोटिस भेजे गये, जिनको करीब तीन माह से अधिक समय हो चुका है, न्यायालय समय में तीन बार आवाज लगाई गई अंतिम आवाज 5.45 पीएम पर लगाई गई। आवाज लगाने के बावजूद विप्रार्थीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नही हुआ लिहाजा विप्रार्थीगणों के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है, प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढ़ा सेढ़ आए हुए है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कणे बने हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए है जिससे प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावें। अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वंय या अपने अधीनस्थः भू. अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी बायतु जिला-बाड़मेर

हुक्म ... सेवामें

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु, जिला बाड़मेर

क्रमांक : वाद / 2022 / 12 दिनांक : 03.01.2023

प्रार्थी	**बनाम**	**विप्रार्थीगण**
1. भीखाराम पुत्र हीराराम जाति जाट, निवासी दुर्गोणियों का तला, लुनाड़ा, तहसील बायतु (बाड़मेर)		1. नन्दाराम पुत्र भोमाराम वगैरा 14, जाति जाट, निवासी दुर्गोणियों का तला लुनाड़ा, तहसील बायतु (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या : 324 / 2022

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा – दुर्गोणियों का तला, पटवार मण्डल – लुनाड़ा, तहसील – बायतु, जिला– बाड़मेर के खेत खसरा नं. 1688, 1689, 1911 / 1689 रकबा क्रमशः 0.0162, 6.2940, 5.3394 हैक्टयर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वंय या सहायक कमिशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेंतो की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनीर शुल्क 500 / – जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

3/1/2023

(मनोज)

उपखण्ड अधिकारी, बायतु

दिनांक 03.01.2023

उपखण्ड अधिकारी बायतु जिला-बाड़मेर

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

क्रमांक : वाद / 2022 / 13-16

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी हल्का लुनाड़ा को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री भीखाराम पुत्र हीराराम
4. विप्रार्थी श्री नन्दाराम पुत्र भोमाराम वगैरा 14
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु / नागाणा।

3/1/2023

उपखण्ड अधिकारी बायतु

उपखण्ड अधिकारी बायतु जिला-बाड़मेर